MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF MINES OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE MINISTRY OF ENERGY AND INFRASTRUCTURE OF THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

ON

CO-OPERATION IN THE FIELD OF GEOPHYSICAL EXPLORATION

The Ministry of Mines of the Government of the Republic of India and The Ministry of Energy and Infrastructure of the Government of the State of Israel (hereinafter jointly referred to as the "Sides" and individually as the "Side"),

Having identified Geophysical Exploration as a common area of interest; and

Desiring to establish cooperation between the Sides, and Indian and Israeli entities in the public and private sector with the aim of promoting bi-lateral cooperation, as well as attaining a better understanding of the potential for mineral exploration by both the sides,

Have reached the following understanding:

PARAGRAPH 1

OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish a basis for encouraging and promoting cooperation in the field of mineral exploration using geophysical methods, on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity between the Sides.

PARAGRAPH 2

AREAS OF COOPERATION

The Sides will encourage cooperation among qualified, expert entities in the public and private sector. The cooperation will focus on, but not be limited to, the following areas:

a. Seismic Reflection, using Seismic Vibrators and explosive sources.
b. Seismic data acquisition using cables/Nodes technologies.
c. Seismic data processing using industry software packages.
d. Vast Sharing experience of leading industry experts in order to perform on the job training.
e. Magnetotelluric (AMT, BBMT & LMT) and transient EM data acquisition & processing using industry software packages.
f. Detailed geophysical exploration (data acquisition, processing and interpretation) using Drones.
g. Other Geophysical Potential methods to be utilized by team of each Side.
h. Application of AI-ML for interpretation of National Geoscience Data Repository (NGDR) data of India for setting up mineral exploration

targets. Also, interpretation of similar other geoscientific data from the scientific repository developed by Israel for mineral targeting.

i. Examination of the means for promoting the exploration, extraction and exploitation of mineral resources.

j. Promotion of investment in the areas of exploration, mining and related activities.

k. cooperation in the field of exchange of technology for extraction of potash from sea water

l. Additional areas as may be decided upon by the Sides in writing.

PARAGRAPH 3

FORMS OF COOPERATION

The cooperation envisioned under Paragraph 2 may be carried out by the following means:

a. Exchanging and training of scientific and technical personnel;

b. Exchanging scientific and technological information;

c. Organization of workshops, seminars and working groups;

d. Promoting collaboration to conduct seismic and other surveys;

e. Development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest; and

f. Cooperation implemented by the Israeli Side will be carried out by the Geophysical Institute of Israel.

g. Other forms of cooperation as may be decided upon by the Sides.

PARAGRAPH 4

JOINT DIALOGUE

1. Representatives of the Sides will jointly conduct periodic meetings and reviews, as needed, in order to:
    a. Identify areas of mutual interest and cooperation related to mineral exploration, using geophysical methods;
    b. Monitor and evaluate cooperative activities; and
    c. Any other activities as may be agreed upon by the Sides in writing.
2. The Sides may carry out dialogue via meetings, video conferencing or other means of electronic communication.
3. The Sides will co-opt other members from scientific institutions, research centres, universities or any other entities, as deemed necessary, to participate in their joint dialogue.

PARAGRAPH 5

PROMOTION OF BUSINESS TIES

The Sides will encourage corporations, businesses, and institutions in the public and private sector to cooperate and initiate projects in the field of Geophysical Exploration.

PARAGRAPH 6

PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION

1. All information and documents to be exchanged pursuant to the MoU will be kept confidential (hereinafter – exchanged information) by the Sides and will be used subject to such terms as each Side may specify. The Sides will not share such information with third parties or use the information for purposes other than that specified, without the prior written consent of the other Side.

2. All Confidential Information shall remain the exclusive property of the disclosing Side. The Sides agree that the disclosure of any information or documents exchanged pursuant to this paragraph do not grant or imply any license, interest or right to the recipient in respect to any intellectual property right of the other Side.

PARAGRAPH 7

LEGAL PROVISIONS

1. Any activities carried out pursuant to this MoU will be in accordance with the respective applicable laws, regulations and procedures of the Sides.
2. All activities undertaken pursuant to this MoU will be subject to the availability of funds.
3. This MoU is not legally binding and does not create any rights or obligations for the Sides under international law.

PARAGRAPH 8

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute that may arise between the Sides regarding the application or interpretation of this MOU will be settled amicably through mutual consultation or negotiation.

PARAGRAPH 9

MODIFICATIONS

1. This MoU may be modified as may be required from time to time by mutual written consent of the Sides.

2. Any such modification will become effective upon signature of the Sides and constitute an integral part of this MoU.

PARAGRAPH 10

ENTRY INTO EFFECT

1. This MoU will enter into effect upon signature by the Sides.
2. This MoU will be in effect for a period of five (5) years from the date of its entry into effect, and thereafter it will be automatically extended for successive periods of five (5) years each, unless terminated by either Side giving at least six (6) months prior notice in writing of its intention to terminate the MoU.

Signed in Jerusalem on the 26 day of February ,2026, corresponding to the 9 day of Adar , 5786 of the Hebrew Calendar in two original copies in the English and Hindi language, both copies being equally valid. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India	**For the Government of the State of Israel**
Dr. S. Jaishankar	**Mr. Eli Cohen**
Minister of External Affairs	**Minister of Energy and Infrastructure**

भारत गणराज्य सरकार के खान मंत्रालय

और

इजराइल राज्य सरकार के ऊर्जा और अवसंरचना मंत्रालय

के मध्य

भूभौतिकीय गवेषण के क्षेत्र में सहयोग पर

समझौता ज्ञापन

इजराइल राज्य सरकार के ऊर्जा और अवसंरचना मंत्रालय और भारत गणराज्य सरकार के खान मंत्रालय और (यहाँ इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में उल्लिखित),

भूभौतिकीय गवेषण को समान हित के क्षेत्र के रूप में चिह्नित करते हुए; और

दोनों पक्षों तथा लोक और निजी क्षेत्र में भारतीय और इजराइली संस्थाओं के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग स्थापित करने की इच्छा रखते हुए, साथ ही, दोनों पक्षों द्वारा खनिज गवेषण की क्षमता की बेहतर समझ प्राप्त करने के उद्देश्य से, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं:

पैराग्राफ 1

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों पक्षों के मध्य पारस्परिक लाभ, समता और पारस्परिकता के आधार पर भूभौतिकीय पद्धतियों का उपयोग करके खनिज गवेषण के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक आधार स्थापित करना है।

पैराग्राफ 2

सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्ष लोक और निजी क्षेत्र में योग्य, विशेषज्ञ संस्थाओं के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। सहयोग निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

क. भूकंपीय वाइब्रेटर और विस्फोटक स्रोतों का उपयोग करके भूकंपीय परावर्तन।

ख. केबल/नोड्स प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भूकंपीय डेटा अधिग्रहण।

ग. उद्योग सॉफ्टवेयर पैकेजों का उपयोग करके भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण।

घ. कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के लिए अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों के व्यापक अनुभव को साझा करना।

ड. उद्योग सॉफ्टवेयर पैकेजों का उपयोग करके मैग्नेटोटेल्यूरिक (एएमटी, बीबीएमटी और एलएमटी) और क्षणिक ईएम डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण।

च. ड्रोन का उपयोग करके विस्तृत भूभौतिकीय गवेषण (डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या)।

छ. प्रत्येक पक्ष की टीम द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य भूभौतिकीय क्षमता वाली पद्धतियां।

ज. खनिज गवेषण के लक्ष्य स्थापित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा कोष (एनजीडीआर) के डेटा की व्याख्या के लिए एआई-एमएल का अनुप्रयोग। इसके अलावा, खनिज लक्ष्यीकरण के लिए इज़राइल द्वारा विकसित वैज्ञानिक भंडार से इसी तरह के अन्य भू-वैज्ञानिक डेटा की व्याख्या।

झ. खनिज संसाधनों के गवेषण, निष्कर्षण और दोहन को बढ़ावा देने के साधनों की जाँच।

ञ. गवेषण, खनन और संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना।

ट. समुद्री जल से पोटाश के निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग।

ठ. अतिरिक्त क्षेत्र जो पक्षों द्वारा लिखित रूप में तय किए जा सकते हैं।

पैराग्राफ 3

सहयोग के रूप

पैराग्राफ 2 के तहत परिकल्पित सहयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

क. वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;

ख. वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान;

ग. कार्यशालाओं, सेमिनारों और कार्य समूहों का संगठन;

घ. भूकंपीय और अन्य सर्वेक्षण करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना;

ड. आपसी हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान या तकनीकी परियोजनाओं का विकास; और

च. इजरायली पक्ष द्वारा किया गया सहयोग इज़राइल के भूभौतिकीय संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

छ. सहयोग के अन्य स्वरूप, जिनका निर्णय दोनों पक्षों द्वारा लिया जा सकता है।

पैराग्राफ 4

संयुक्त वार्ता

1. दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से आवधिक बैठकों और समीक्षाओं का आयोजन करेंगे, ताकि:

क. भूभौतिकीय पद्धतियों का उपयोग करके खनिज गवेषण से संबंधित पारस्परिक हित और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जा सके;

ख. सहयोगात्मक कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके; और

ग. कोई अन्य कार्यकलाप जिस पर दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति व्यक्त की जा सकती है।

2. दोनों पक्ष बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों के माध्यम से वार्ता कर सकते हैं।

3. दोनों पक्ष, आवश्यकतानुसार, अपने संयुक्त संवाद में भाग लेने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों, विश्वविद्यालयों या किसी अन्य संस्थाओं से अन्य सदस्यों को शामिल करेंगे।

पैराग्राफ 5

व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा

दोनों पक्ष लोक और निजी क्षेत्र में निगमों, व्यवसायों और संस्थानों को भूभौतिकीय गवेषण के क्षेत्र में सहयोग करने और परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

पैराग्राफ 6

गोपनीय सूचना की सुरक्षा

1. एमओयू के अनुसार आदान-प्रदान की जाने वाली सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को पक्षों द्वारा गोपनीय रखा जाएगा (यहाँ इसके बाद-आदान-प्रदान की गई सूचना) और इसका उपयोग प्रत्येक पक्ष द्वारा विविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जाएगा। दोनों पक्ष ऐसी सूचना को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना विविनिर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे।

2. समस्त गोपनीय सूचना अनन्य रूप से प्रकटीकरण करने वाले पक्ष की मात्र संपत्ति बनी रहेगी। दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस पैराग्राफ के अनुसार आदान-प्रदान की गई किसी भी सूचना या दस्तावेजों का प्रकटीकरण प्राप्तकर्ता को दूसरे पक्ष के किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में कोई लाइसेंस, हित या अधिकार प्रदान या इसे इंगित नहीं करता है।

पैराग्राफ 7

कानूनी प्रावधान

1. इस समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाने वाला कोई भी कार्यकलाप दोनों पक्षों के संबंधित लागू कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगी।

2. इस समझौता ज्ञापन के अनुसार किये जाने वाले सभी कार्यकलाप निधियों की उपलब्धता के अधीन होंगे

3. यह समझौता ज्ञापन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पक्षों को कोई अधिकार या दायित्व नहीं देता है।

पैराग्राफ 8

विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन के आवेदन या व्याख्या के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को आपसी परामर्श या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

पैराग्राफ 9

संशोधन

1. इस समझौता ज्ञापन को समय-समय पर दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति से आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है।

2. ऐसा कोई भी संशोधन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के बाद लागू हो जाएगा और इस समझौता ज्ञापन का अभिन्न अंग होगा।

पैराग्राफ 10

लागू होना

1. यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के पश्चात लागू होगा।

2. यह समझौता ज्ञापन इसके लागू होने की तिथि से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा, तथा उसके पश्चात इसे स्वत: ही पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में कम से कम छह (6) माह पूर्व लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता।

2026के फ़रवरी के 26 दिन - यरूशलेम में जो कि हिब्रू कैलेंडर के 5784 के अदार के 9 दिन _____ के अनुरूप है, दो मूल प्रतियों में अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, दोनों प्रतियाँ समान रूप से मान्य हैं, में हस्ताक्षरित की जाती है।

कृते खान मंत्रालय,
भारत गणराज्य की सरकार

(डॉ. एस. जयशंकर)
विदेश मंत्री

कृते ऊर्जा और अवसंरचना मंत्रालय,
इज़राइल राष्ट्र की सरकार

(श्री एली कोहेन)
ऊर्जा और अवसंरचना मंत्री